SDE/ADE/JD/DD

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2009/आश्विन 16, 1931

No. 578] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2009/ASVINA 16, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 733(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (समूह "क" पदों) भर्ती नियम, 1997 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) ये नियम प्रवर्तन निदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 कहे जाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चयन अथवा अचयन पद	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. विशेष प्रवर्तन निदेशक	3* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	18,400–500 22,400 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति सहित पदोन्नति) बाह्य व्यक्तियों के साथ विभागीय अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ मान लिया जाएगा ।	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति :** I. अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेवा के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा या अधिक के साथ चयन ग्रेड (14,300–18,300 रुपये) धारण किए हों । (ख) जिन्हें राजकोषीय/आपराधिक कानूनों से संबंधित आसूचना, जांच कार्य तथा न्यायनिर्णयन/अभियोजन क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो । II. विभागीय अपर प्रवर्तन निदेशक (14,300–18,300 रुपये) जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है उन पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाने की अंतिम तिथि को बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उनका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा मान लिया जाएगा । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति

(12)
की अवधि, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के अनुसार चयन समिति (1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त —अध्यक्ष (2) सतर्कता आयुक्त —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में प्रभारी भारत सरकार के सचिव —सदस्य (4) केन्द्रीय सरकार के कार्मिक मंत्रालय में प्रभारी भारत सरकार के सचिव —सदस्य (5) केन्द्रीय सरकार के राजस्व विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अपर निदेशक प्रवर्तन	1* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14,300–400 18,300 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** उप-निदेशक के रूप में पाँच वर्ष की सेवा की हो जिसके न होने पर उप-निदेशक/सहायक निदेशक प्रवर्तन ग्रेड-I के रूप में 10 वर्ष की संयुक्त सेवा बशर्ते उप निदेशक प्रवर्तन के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो । **टिप्पणी :** जहां कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

(12)
प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 12,000–16,500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ख) जिन्हें राजकोषीय/आपराधिक कानूनों से संबंधित आसूचना, जांच कार्य तथा न्यायनिर्णयन/अभियोजन क्षेत्र में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव हो; या पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(13)	(14)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के अनुसार चयन समिति (1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त —अध्यक्ष (2) सतर्कता आयुक्त —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में प्रभारी भारत सरकार के सचिव —सदस्य (4) केन्द्रीय सरकार के कार्मिक मंत्रालय में प्रभारी भारत सरकार के सचिव —सदस्य (5) केन्द्रीय सरकार के राजस्व विभाग में प्रभारी भारत सरकार के सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप निदेशक प्रवर्तन	12* (2009) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	12,000–375 16,500 रु. राजपत्रित अननुसचिवीय	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(11)	(12)
50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** सहायक निदेशक प्रवर्तन ग्रेड-I के रूप में पाँच वर्ष की सेवा की हो जिसके न होने पर

(12)

सहायक निदेशक प्रवर्तन ग्रेड-I/सहायक निदेशक ग्रेड-II के रूप में 10 वर्ष की संयुक्त सेवा बशर्ते सहायक निदेशक ग्रेड-I के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पणी : जहां कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति :

अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 10,000-15,200 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या

(ख)(i) जिन्हें राजकोषीय/आपराधिक कानूनों से संबंधित आसूचना, जांच कार्य तथा न्यायनिर्णयन/अभियोजन क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो; या

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(13)		(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु)		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।
(1) अध्यक्ष/सदस्य, सं.लो.से.आ.	—अध्यक्ष	
(2) प्रवर्तन निदेशक	—सदस्य	
(3) अपर सचिव (प्रशासन) राजस्व विभाग	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक प्रवर्तन निदेशक, ग्रेड I	35* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	10,000-325 15,200 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता

3655 GI/09-2

(11)	(12)
50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** सहायक ग्रेड–II के रूप में पाँच वर्ष की सेवा की हो जिसके न होने पर सहायक निदेशक प्रवर्तन ग्रेड–II एवं प्रवर्तन अधिकारी या अधीक्षक के रूप में 6 वर्ष की संयुक्त सेवा और बशर्ते सहायक निदेशक ग्रेड–II के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो । **टिप्पणी :** जहां कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **प्रतिनियुक्ति :** राज्य पुलिस संगठनों/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अखिल भारतीय सेवा सहित केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 8,000–13,500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ख)(i) जिन्हें राजकोषीय/आपराधिक कानूनों से संबंधित आसूचना, जांच कार्य तथा न्यायनिर्णयन/अभियोजन क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो; या (ii) बैंकिंग/लेखा कार्य का अनुभव रखते हों । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) : (1) अपर सचिव, राजस्व विभाग —अध्यक्ष (2) प्रवर्तन निदेशक —सदस्य (3) विशेष/अपर प्रवर्तन निदेशक —सदस्य	राज्य सरकार के अधिकारी को नियुक्त करने से पहले आयोग से परामर्श करना होगा ।

[फा. सं. 2/1/2007-प्रशासन ई डी]

प्रिया वी. के. सिंह, निदेशक

टिप्पणी:— प्रवर्तन निदेशालय (समूह "क" पदों) भर्ती नियम 1997 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 29 जनवरी, 1997, 8 फरवरी, 1997 को सं. सा.का.नि. 74 के तहत प्रकाशित किये गये थे और बाद में इसे दिनांक 6 मई, 1999 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143 के तहत संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2009

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment of Group 'A' posts in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Special Director of Enforcement	03* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 18400-500-22400	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Composite method (Deputation plus Promotion) The departmental officer will also be considered alongwith outsiders and in case, he/she is selected the post shall deemed to have been filled by promotion.	**Promotion/Deputation** I. Officers of All India Services/Central Services/Central Bureau of Investigation : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) holding Seclection Grade (Rs. 14300-400-18300) of the Junior administrative grade with three years regular service in the grade or above; and (b) possessing experience of at least fifteen years in the field of Intelligence, Investigation and Adjudication/Prosecution work relating to Fiscal/Criminal Laws. II. The Departmental Additional Director of Enforcement (Rs. 14300-18300) with three years regular service in the grade on the last date of calling for applications for deputation shall also be considered along with the outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Selection Committee as per Secion 25 of the CVC Act, 2003 1. Central Vigilance Commissioner —Chairman 2. Vigilance Commissioner —Member 3. Secretary to the Government of India In-charge of the Ministry of Home Affairs in the Central Government —Member 4. Secretary to the Government of India In-charge of the Ministry of Personnel in the Central Government —Member 5. Secretary to the Government of India In-charge of the Department of Revenue in the Central Government —Member	Consultation with UPSC not necessary.

2. Dir En No Pr

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Additional Director of Enforcement	01* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14300-400-18300	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion failing which by deputation	**Promotion :** Five years as Deputy Director of Enforcement, failing which ten years combined service as Deputy/Assistant Director of Enforcement Grade-I subject to minimum of three years as Deputy Director of Enforcement. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers of All India Services/Central Services/Central Bureau of Investigation : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing experience of at least twelve years in the field of Intelligence, Investigation/adjudication/Prosecution work relating to Fiscal/Criminal Laws. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

(13)	(14)
Selection Committee as per Section 25 of the CVC Act, 2003 1. Central Vigilance Commissioner —Chairman	Consultation with UPSC not necessary.

3655 97 65-3

(13)	
2. Vigilance Commissioner	—Member
3. Secretary to the Government of India In-charge of the Ministry of Home Affairs in the Central Government	—Member
4. Secretary to the Government of India In-charge of the Ministry of Personnel in the Central Government	—Member
5. Secretary to the Government of India In-charge of the Department of Revenue in the Central Government	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director of Enforcement	12* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
50% Promotion 50% Deputation	**Promotion :** Five years as Assistant Director of Enforcement Grade-I, failing which ten years combined service as Assistant Director of Enforcement Grade-I/Assistant Director of Enforcement Grade-II subject to minimum of three years as Assistant Director Grade-I. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers of All India Services/Central Services/Central Bureau of Investigation : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing experience of at least ten years in the field of Intelligence, Investigation and adjudication/Prosecution work relating to Fiscal/ Criminal Laws. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

	(12)
	(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

(13)		(14)
Group 'A' DPC (for promotion) :—		Consultation with UPSC not necessary.
1. Chairman/Member, UPSC	—Chairman	
2. Director of Enforcement	—Member	
3. Additional Secretary (Administration) Department of Revenue	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Director of Enforcement Grade-I	35* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
(i) 50% Promotion (ii) 50% Deputation	**Promotion :** Five years as Assistant Director Grade-II, failing which six years combined service as Assistant Director of Enforcement Grade-II and Enforcement Officer or Superintendent and subject to minimum of three years as Assistant Director Grade-II. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers of All India Services/Central Services/including State Police Organisations/Central Bureau of Investigation : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent Cadre/Department; and (b) (i) Possessing experience of at least five years in the field of Intelligence, Investigation work and Adjudication/Prosecution relating to Fiscal/Criminal Laws, or

(12)

(ii) possessing experience of Banking/Accounts.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

(13)		(14)
Group 'A' DPC (for promotion) :—		Commission shall be consulted before appointing a State Government official.
1. Additional Secretary, Department of Revenue	—Chairman	
2. Director of Enforcement	—Member	
3. Special/Additional Director of Enforcement	—Member	

[F. No. 2/1/2007-Ad. ED]

PRIYA V. K. SINGH, Director

Note : The Directorate of Enforcement (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1997 were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i) dated the 8th February, 1997 *vide* number GSR 74, dated the 29th January, 1997 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 143, dated the 6th May, 1999.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.